

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

सं०सं०-01/स्था० (न०आ०)-02/2017- 6728 /न०वि०एवंआ०वि०, पटना, दिनांक-23/12/19

जिला पदाधिकारी, कटिहार के आदेश ज्ञापांक-1327 दिनांक-03.12.2019 के आलोक में श्री कमलेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, कटिहार को बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा-41 के अन्तर्गत अपने कार्यों के अतिरिक्त तात्कालिक प्रभाव से अगले आदेश तक नगर आयुक्त, नगर निगम, कटिहार का प्रभार दिया जाता है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

ह०/-

(राम सेवक प्रसाद)


सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-01/स्था० (न०आ०)-02/2017 6728 /न०वि०आ०वि०, पटना/दिनांक-23/12/19

प्रतिलिपि:- अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय गुलजारबाग, पटना को बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि:- महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/जिला पदाधिकारी, कटिहार/नगर आयुक्त, कटिहार नगर निगम, कटिहार/श्री कमलेश कुमार सिंह, अपर समाहर्ता, कटिहार/संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव/श्री अमितेश कुमार, आई०टी० प्रबंधक, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


23/12/19
सरकार के अवर सचिव।